(राजबीर सेहरावत, ज.)

राजबीर सेहरावत ज., के सामने

अमर चंद-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ और अन्य प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. नमबर 5679, 2021 का

30 नवंबर, 2021

भारत का संविधान, 1950-अनु० 226 और 227-अनुकंपा के आधार पर सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्ति- माना गया , केवल आवेदन करने में देरी नियुक्ति से इनकार करने का कोई आधार नहीं है-नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस तरह के आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं थी और प्रत्येक मामले पर परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि परिवार 5 साल तक प्रबंधन करने और जीवित रहने में समर्थ था, नियुक्ति से इनकार करने का कोई आधार नहीं है-प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के मामले को निर्धारण करने और उसकी उम्र के बारे में कोई आपत्ति नहीं लेने का निर्देश दिया क्योंकि उसने पात्रता की उम्र के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

माना गया कि उपरोक्त नीति के केवल अवलोकन से पता चलता है जो यह स्पष्ट रूप से बताती है कि नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति के मामले के लिए आवेदन करने और उस पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।यद्यपि नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि विलंबित आवेदनों पर अधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए, यदपि नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक मामले पर उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा और अधिकारी उस संबंध में निर्णय लेंगे।

(पैरा 7)

माना गया कि आक्षेपित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का मामला इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता का परिवार इन सभी वर्षों से प्रबंधन करने में समर्थ है। हालांकि, केवल यह तथ्य कि परिवार के सदस्यों ने 5 साल की अवधि के दौरान अपना जीवन समाप्त नहीं किया है या वे किसी न किसी तरह से 5 साल की अवधि तक जीवित रहने ओर आपना गुजारा करने में कामयाब रहे हैं, अपने आप में अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं ।यद्पि अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा करने में देरी नीति के तहत कारकों में से एक हो सकती है, हालाँकि, यह एकमात्र कारक नहीं हो सकता है। निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों के संचयी विचारो पर आधारित होना चाहिए। याचिकाकर्ता के मामले को विलंबित भी नहीं कहा जा सकता।

(पैरा 8)

जी. एस. घुमन -याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

रजनीश शेली -प्रतिवादी/यू. ओ. आई. की ओर से अधिवक्ता

राजबीर सहरावत, ज. (मौखिक)

(1) यह याचिका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी पत्र संख्या 3982075/एस. आर./एल. एन./एन. ई. (समन्वय) दिनांक 20.1.2021 (अनुलग्नक पी-16) को दरकिनार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर सैनिक के रूप में नियुक्ति से इनकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का आगे का अनुरोध जिमेवारिओ का सही ढंग से निष्पादन/परमादेश पत्र जारी करने के लिए है, जिसमें प्रतिवादीयो को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में 'सिपाही' के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त का नामांकन/विचार करने का निर्देश पत्र संख्या बी/05183/ सीए/पॉलिसी/ इंफ-6 (पर्स) दिनांक 20.6.2018 दिया गया है।(अनुलग्नक पी-15)।

(2) याचिका में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वे हैं-याचिकाकर्ता के पिता नायक गुरदीप सिंह, सेना नं. 3982075 ए, निवासी ग्राम और डाकघर बछोही, तहसील गर्शंकर, जिला होशियारपुर, भारतीय सेना में सेवारत था। ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई।हालांकि, प्रारंभिक चरण में, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के तरीके को लेकर विवाद था, हालांकि, अंततः, प्रतिवादी अधिकारियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु नियंत्रण रेखा पर 12.05.2000 को युद क्षेत्र में हुई थी। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु को सेना की सेवा के कारण में माना गया था। तदनुसार, दिनांक 16.8.2011 पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की माँ से अपने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार के लिए भेजने के लिए कहा और अधिकारियों ने दिनांक 26.11.2011 पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता की माँ को पारिवारिक पेंशन प्रदान की। इसलिए, वर्ष 2011 में अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की मां को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता की बहन द्वारा याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया गया था। हालाँकि, उस आवेदन को प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2015 आदेश के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया। उसके दावे को अस्वीकार करते हुए, प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति थी कि उसका नाम याचिकाकर्ता के मृत पिता के सेना सेवा रिकॉर्ड में नहीं था। प्रतिवादीयो के दावे के अनुसार, उस समय मृतक कर्मचारी के केवल दो बच्चे सेना के रिकॉर्ड में थे।तदनुसार, प्रतिवादीयो ने याचिकाकर्ता के भाई को अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव दिया था, जिसका नाम पत्र में भी था। हालाँकि, याचिकाकर्ता के भाई ने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया।

(3) एक अन्य तथ्य जो अभिलेख पर आया है, वह यह है कि जब याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हुई थी, तब याचिकाकर्ता की आयु केवल एक वर्ष थी। इसलिए, वह अपने पिता के सेवा रिकॉर्ड में भी नहीं था। लेकिन जब मामला; याचिकाकर्ता के मृतक सैनिक की संतानों में से एक होने के संबंध में; अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था, तो याचिकाकर्ता को अपने मृत पिता के बेटे के रूप में सेना के रिकॉर्ड मे विज्ञापन दिनाक 08.02.2018 के तहद रिकाङ पर भी लाया गया था। चूंकि, पहले याचिकाकर्ता की बहन को नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता के भाई ने अवसर का लाभ नहीं उठाया था; और इसके अलावा, याचिकाकर्ता सेना के रिकॉर्ड में नहीं था, और तदनुसार, वह उस समय आवेदन नहीं कर सकता था, इसलिए, याचिकाकर्ता को सेना के रिकॉर्ड पर लाए जाने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार करने के लिए 21.05.2018 पर एक आवेदन किया गया था। हालाँकि उस अनुरोध को प्रतिवादीयो द्वारा दिनांकित पत्र 6.07.2018 के माध्यम से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन उनके मृत पिता की मृत्यु की तारीख से 5 साल के भीतर किया जा सकता था और यह कि याचिकाकर्ता उस समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। हालांकि, दिलचस्प रूप से उक्त पत्र में ही, प्रतिवादी द्वारा यह लिखा गया था कि मौजूदा नीति के अनुसार, याचिकाकर्ता इकाई मुख्यालय कोटा के तहत सेना में नामांकन के लिए पात्र था। लेकिन उस समय, उस कोटा के तहत भी उनकी नियुक्ति पर अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभिवक्ता के द्वारा 05.12.2020 को पुनर्विचार के लिए फिर से प्रार्थना भेजा गया। उक्त प्रार्थना को प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 20.01.2021 पत्र के माध्यम से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता के मामले पर पहले ही विचार किया जा चुका है और खारिज कर दिया गया था। वर्तमान याचिका प्रतिवादी की इस कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए, याचिकाकर्ता के अभिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि पहले प्रतिवादी ने इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया था कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु सेना मे सेवा के कारण हुई थी। हालाँकि, 11 वर्षों के बाद, इस तथ्य को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता की माँ को विशेष पारिवारिक पेंशन दी गई; और इसके आलावा, उन्हें सूचित किया गया कि वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपने बेटे का आवेदन भेज सकती हैं। हालाँकि, चूंकि अपने पिता की मृत्यु के समय, याचिकाकर्ता की आयु केवल एक वर्ष थी और वर्ष 2011 में भी, वह सेना में भर्ती के लिए आवश्यक आयु प्राप्त नहीं की थी, इसलिए याचिकाकर्ता की माँ ने याचिकाकर्ता की बहन के लिए अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प चुना था। याचिकाकर्ता की बहन के दावे को मोटे तौर पर दो आधारों पर खारिज कर दिया गया था; अर्थात्; कि उसका नाम सेना के अभिलेखों में नहीं था

और उनकी ओर से आवेदन करने में देरी हुई थी। इस स्तर पर भी, प्रतिवादीयो ने स्वयं याचिकाकर्ता की माँ को लिखा था कि उसका बेटा जिसका नाम उसके मृत पति के सेना सेवा रिकॉर्ड में था, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।इस स्तर पर भी, चूंकि याचिकाकर्ता का नाम याचिकाकर्ता के पिता के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता। हालाँकि, याचिकाकर्ता के भाई, जिन्हें अधिकारियों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति लेने के योग्य के रूप में नामित किया गया था, ने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया था। इसलिए याचिकाकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की रियायत नहीं दी गई थी। अब याचिकाकर्ता के पिता के सेना सेवा रिकॉर्ड में भी याचिकाकर्ता का नाम दर्ज किया गया है। इसलिए, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए उचित आवेदन किया था। उनके दावे को इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे में देरी हुई थी।अभिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि हालांकि अस्वीकृति आदेश में, प्रतिवादी ने लिखा है कि याचिकाकर्ता सेना में सिपाही के रूप में भर्ती के लिए पात्र नहीं था, हालांकि, उक्त पत्र में ही उन्होंने लिखा है कि याचिकाकर्ता इकाई मुख्यालय के कोटा में नियुक्त होने के लिए पात्र था।इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले पर कम से कम उस कोटा में प्रतिवादी द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। आवेदन करने में देरी के कारण, याचिकाकर्ता के अभिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई अनुकंपा नियुक्ति की नीति में किसी भी समय सीमा का प्रावधान नहीं है।हालांकि नीति में यह भी कहा गया है कि दावे को आम तौर पर मृत्यु की तारीख से 5 साल की अवधि के बाद स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस बीच परिवार वित्तीय समस्याओं से बाहर निकल गया होगा, हालांकि, वर्तमान मामले में, 5 साल की यह अवधि भी लागू नहीं होती है। प्रारंभिक 11 वर्षों के लिए, प्रतिवादीयो ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु सेना की सेवा के कारण हुई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा अपने पिता की मृत्यु के 5 साल के भीतर आवेदन करने का कोई सवाल ही नहीं है।इसके अलावा, वर्ष 2015 में, जब याचिकाकर्ता की बहन का मामला खारिज कर दिया गया था, तो प्रतिवादी ने स्वयं याचिकाकर्ता के भाई को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की थी, जिसका नाम स्वयं प्रतिवादी द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया था।हालाँकि याचिकाकर्ता के भाई ने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया था, लेकिन याचिकाकर्ता उस अवसर का लाभ भी नहीं उठा सकता था क्योंकि उस समय सेना के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज नहीं था। वर्ष 2018 में ही याचिकाकर्ता का नाम सेना के अभिलेखों में मृतक सिपाही के पुत्र के रूप में दर्ज किया गया था

(राजबीर सेहरावत, ज.)

इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इसलिए, किसी भी तरह से, किसी भी देरी का श्रेय याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है।इसलिए, याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार है।

(5) दूसरी ओर, प्रतिवादीयो के अभिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु वर्ष 2000 में हुई थी।अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू नीति निर्धारित करती है कि आम तौर पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर 5 साल के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले को देरी के रूप में अस्वीकार कर दिया गया ।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को विधिवत सूचित किया था कि वह किसी भी नियुक्ति का हकदार नहीं है।तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाए।

(6) पार्टियों के अभिवक्ता के तर्क के अनुसार, विवाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में देरी से संबंधित है।इसलिए, इस संबंध में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए जारी नीति के प्रावधानों का संदर्भ रखना उचित होगा।नीति के प्रासंगिक अनुच्छेद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"8. अनुकम्पा आधारित **आवेदनों पर विचार करने के लिए समय सीमाः**

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की समीक्षा इस विभाग के ओ. एम. सं. 14014/2011-ए. एस. डी. दिनाक 27.02.2012 के माध्यम से की गई है। इस विभाग द्वारा जारी किए गए विषय पर रिक्तियों और निर्देशों की उपलब्धता के अधीन और समय-समय पर संशोधित, अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन पर बिना किसी समय सीमा के विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

9. देरी से प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति पत्र के बारे मे।

(क) मंत्रालय/विभाग अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं, भले ही किसी सरकारी कर्मचारी की चिकित्सा आधार पर मृत्यु या सेवानिवृत्ति बहुत पहले हुई हो, मान लीजिए पांच साल या उससे अधिक।हालाँकि, इस तरह के विलंबित अनुरोधों पर विचार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा काफी हद तक तक तत्काल सहायता की आवश्यकता से संबंधित है।

सरकारी आदेश कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से राहत देने के लिए है। यह तथ्य कि परिवार इन सभी वर्षों में किसी तरह से प्रबंधन करने में समर्थ रहा है, सामान्य रूप से इस बात के पर्याप्त प्रमाण के रूप में लिया जाना चाहिए कि परिवार के पास निर्वाह के कुछ भरोसेमंद साधन थे। इसलिए, ऐसे मामलों की जांच के लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।इसलिए, ऐसे मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय केवल संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव के स्तर पर ही लिया जा सकता है।

(ख) अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध में देरी हुई है या नहीं, यह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तारीख के संदर्भ में चिकित्सा आधार पर तय किया जा सकता है, न कि विचार के समय आवेदक की उम्र के आधार पर।

(ग) आश्रित परिवार की दयनीय स्थिति की जांच करने की जिम्मेदारी अनुकंपा से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी पर होगी (ओ. एम. सं. 14014/3/2011-ए. एस. टी. डी. का पैरा 4)।((घ) दिनांकित 26.7.2012।"

(7) उपर्युक्त नीति के केवल अवलोकन से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से बताती है कि नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति के मामले के लिए आवेदन करने और उस पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।यद्यपि नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि विलंबित आवेदनों पर अधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक मामले पर उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा और अधिकारी उस संबंध में निर्णय लेंगे।

(8) पार्टियों के अभिवक्ताों की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के अर्भिवक्ता द्वारा उठाए गए तक में सार पाता है।विवादित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता का परिवार इन सभी वर्षों से प्रबंधन करने में समर्थ था। हालांकि, केवल यह तथ्य कि परिवार के सदस्यों ने 5 साल की अवधि के दौरान अपना जीवन समाप्त नहीं किया या वे किसी न किसी तरह से 5 साल की अवधि तक जीवित रहने में कामयाब रहे हैं, अपने आप में अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं होगा।यद्यपि अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा करने में देरी नीति के तहत कारणो में से एक हो सकती है, हालाँकि, यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता है।निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों के संचयी विचार पर आधारित होना चाहिए।वर्तमान में, याचिकाकर्ता के मामले को एक विलंबित मामले के रूप में भी चिह्नित नहीं किया जा सकता है।

(राजबीर सेहरावत, ज.)

निर्विवाद रूप से, 11 वर्षों तक, प्रतिवादीयो ने इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया था कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु सेना की सेवा के कारण हुई थी।पहली बार इस तथ्य को वर्ष 2011 में स्वीकार किया गया था।इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादीयो ने स्वयं वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता की मां को लिखा था कि उनका बेटा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु की तारीख से 5 साल की गिनती वर्तमान मामले में पूरी तरह से गलत हो जाती है।कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी से पत्र प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता की बहन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।हालाँकि उसका दावा खारिज कर दिया गया था, लेकिन उस समय भी, वर्ष 2015 में, प्रतिवादी ने स्वयं लिखा था कि याचिकाकर्ता का भाई, जिसका नाम प्रतिवादी से प्राप्त संचार में उल्लिखित था, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।इसलिए 2015 तक की अवधि को भी अब विलंबित अवधि के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है।जैसा कि रिकॉर्ड में आया है, जब याचिकाकर्ता की बहन का मामला खारिज कर दिया गया था, याचिकाकर्ता की मां को अपने बेटे की ओर से आवेदन करने की सलाह देते हुए, याचिकाकर्ता को मृत सैनिक के बेटे के रूप में प्रतिवादी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था।उनका नाम पहली बार 2018 में ही रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन वर्ष 2018 में ही दायर किया गया था।इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन जमा करने में किसी भी देरी का कोई सवाल ही नहीं है।

(9) हालाँकि प्रतिवादीयो ने याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन करने में देरी को याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति को अस्वीकार करने के आधार के रूप में लिया है, हालाँकि, वे स्वयं आश्वस्त प्रतीत होते हैं कि यह याचिकाकर्ता की ओर से विलंबित आवेदन का मामला नहीं है।इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले को देरी के आधार पर खारिज करते हुए और यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता सेना अन्य बातों के साथ साथ सिपाही के रूप अन्य बातों के साथ साथ भर्ती के लिए पात्र नहीं था; क्योंकि सिपाही के रूप अन्य बातों के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, प्रतिवादीयो ने स्वयं उसी पत्र अन्य बातों के साथ साथ कहा है कि याचिकाकर्ता समूह सी, ट्रेडसमैन पोस्ट अन्य बातों के साथ साथ नियुक्ति के लिए पात्र था; यूनिट मुख्यालय कोटा अन्य बातों के साथ साथ।यहाँ तक कि प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में भी, प्रतिवादी द्वारा वही रुख अपनाया गया है, जिसे यहाँ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"अनुकंपा नियुक्ति एक उचित अवधि के बाद नहीं दी जा सकती है और यह निहित अधिकार नहीं है, जिसका उपयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है।इसके अलावा सिपाही के पद पर सेना में नामांकन के लिए अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

हालांकि, याचिकाकर्ता को भर्ती निदेशालय द्वारा रेजिमेंट को आवंटित उपलब्ध रिक्ति पर नामांकन और शारीरिक मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बाद इकाई मुख्यालय कोटा (प्राथमिकता 2) के तहत ट्रेडसमैन श्रेणी में भर्ती के रूप में सेना में नामांकन के लिए विचार किया जा सकता है।

माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदकों (एन. ओ. के.) के चयन के लिए बोर्ड न. 16 की बैठक 7 जनवरी, 2021 को रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में माना गया की गई थी और कुल सीधी भर्ती रिक्तियों के 5 प्रतिशत निर्धारित कोटा के संदर्भ में 5 रिक्तियों को निर्धारित कूल 302 आवेदन मे से किया गया था।"

(10) इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता इकाई मुख्यालय कोटा (प्राथमिकता संख्या 2) के तहत व्यापारी श्रेणी में भर्ती के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार है। प्रतिवादी द्वारा लिए गए रुख के अनुसार भी।

(11) तदनुसार, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता अनुमति दी जाती है।विवादित आदेशों को इस हद तक दरकिनार कर दिया जाता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे इकाई मुख्यालय कोटे में याचिकाकर्ता के मामले पर उनकी नीति के अनुसार, उसकी पात्रता और योग्यता के अनुसार विचार करें, लेकिन याचिकाकर्ता के उक्त भर्ती के लिए अन्य मानकों को पूरा करने के बाद। हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने उस समय अदालत का दरवाजा खटखटाया था जब वह पात्रता की आयु के भीतर था, इसलिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं लेंगे कि वास्तविक भर्ती की तारीख पर उसे अधिक उम्र मिल रही है।याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का अभ्यास आज से 3 महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त होगा

Vetted by: Shiv Charan

Translator, Sessions Division, Panipat